न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती करूणा लाड़ोती, आर.ए.एस.

राजस्व वाद नम्बर :– 2/2023

जीसीएमएस नम्बर :– 2023/115

अनवान

1. ज्योति पुत्री गणेशलाल कुम्हार निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. देवेन्द्र आत्मज गणेशलाल कुम्हार निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. नितिन आत्मज गणेशलाल कुम्हार निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. नीरज आत्मज गणेशलाल कुम्हार निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. रेणु पुत्री गणेशलाल कुम्हार निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. सुखी पुत्री मोहन कुम्हार निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. सुन्दरबाई पत्नि गणेशलाल कुम्हार निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. सायरी पत्नि मोहन कुम्हार निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. कस्तुरी पत्नि मीठु कुम्हार निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. गोरीलाल आत्मज मीठु कुम्हार निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. मांगी पुत्री मीठु कुम्हार निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. चान्दीदेवी पत्नि मगना कुम्हार निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. पारसी पुत्री मगना कुम्हार निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. मंजु पुत्री मगना कुम्हार निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. श्यामलाल आत्मज मगना कुम्हार निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. सुरेश पुत्र मगना कुम्हार निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. प्यारा आत्मज जालु कुम्हार निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. मूलचन्द दतक पुत्र धन्ना कुम्हार निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित

1. अमरसिंह चारण – प्रार्थी अधिवक्ता
2. राजु लाल नायक –अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1, 4, 8, 9, 10

निर्णय

दिनांक 9/2/2026

1. प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम छातोल, पटवार हल्का कोट तहसील रायपुर के बैरून हल्का आवादी में प्रार्थीगण व विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 10 के पूर्वज धन्ना, प्यारा, मोहन, मंगना आत्मज जालु कुम्हार के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 355, 356, 357, 358/2 कुल किता 4 कुल रकबा 11 बीघा 3 बिस्वा भूमि स्थित थी।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

2. उक्त आराजियात का धन्ना, प्यारा, मोहन, मगना आत्मज जालु कुम्हार ने स्वेच्छिक बंटवारा करा लिया जिससे प्रार्थीगण के पूर्वज मोहन आत्मज जालु कुम्हार के हिस्से में आराजी संख्या 358/2ख रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा, 357 रकबा 10 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा भूमि रखी गई, जो मोहन आत्मज जालु कुम्हार के नाम खातेदारी दर्ज की हो गई।
3. ग्राम छोतोल तहसील रायपुर का नवीन भु प्रबन्ध हुआ जिससे साविक आराजी संख्या 358/2ख व 357 के नवीन आराजी संख्या 652 रकबा 0.57 है0, 854/651 रकबा 0.11 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.68 है0 कायम किए गए।
4. भू प्रबन्ध अधिकारियो एवं कर्मचारियो को राजस्व नक्शे में फेर बदल करने का कोई अधिकार प्राप्त नही होते हुए भी उन्होने प्रार्थीगण की साबिक आराजी संख्या 358/2ख व 357 के साबिक नक्शे के अनुरूप नवीन नक्शा कायम नही कर नवीन नक्शे में विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 3 की आराजी संख्या 656 को विपक्षीगण की आराजी संख्या 651 को गलत रूप से प्रार्थीगण की आराजियात के नवीन नक्शे में फीट कर दी है। जिससे साबिक नक्शे के अनुरूप नवीन नक्शे में तरमीम किया जाना आवश्यक है।
5. अतः सादर प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की साबिक आराजी संख्या 358/2ख, 357 कुल किता 2 कुल रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा ग्राम छातोल के साबिक नक्शे के अनुरूप प्रार्थीगण के नवीन आराजी संख्या 652 रकबा 0.57 है0, 854/651 रकबा 0.11 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.68 है0 ग्राम छातोल के नवीन नक्शे में तरमीम किये जाने का आदेश प्रदान फरमाया जावे एवं नवीन नक्शे में गलत रूप से फीट की गई आराजी संख्या 656, 651 को प्रार्थीगण की आराजियात के नक्शे में हटाई जावे।
6. प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सम्मन जारी किए गए। सम्मन की पालना में विपक्षी संख्या 2, 3, 5, 6, 7 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से दिनांक 12.06.2024 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई एवं विपक्षी संख्या 1, 4, 8, 9, 10 के अधिवक्ता राजु लाल नायक द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी संख्या 11 तहसीलदार रायपुर द्वारा जांच रिर्पोट प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली की गई।
7. विपक्षी संख्या 1, 4, 8 लगायत 10 की ओर से जवाब में अंकन किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 लगायत 5 व 8 लगायत 10 को स्वीकार किया है। एवं वादपत्र की कलम संख्या 6, 7 को अस्वीकार किया गया है। विपक्षीगण द्वारा काउन्टर क्लेम के रूप में निवेदन किया कि वादवर्णित साबिक आराजियात 355, 356, 357, 358/2 का स्वैच्छिक रूप से बंटवारा किया हुआ है जिसमें विपक्षीगण 1 लगायत 8 व 10 के पूर्वज धन्ना पिता जालु व मगंना पिता जालु व विपक्षी संख्या 9 के नाम हिस्से अनुसार दर्ज हुई है व मौके पर अपने–अपने हिस्से अनुसार काविज हो गये है। विपक्षी संख्या 1 लगायत 8 व 9 के पूर्वज धन्ना के हिस्से में आराजी संख्या 358/2ग रकवा 1 बीघा 5 बिस्वा व आराजी संख्या 358/2ड रंकबा 10 बिस्वा व मगना के हिस्से में आराजी संख्या 358/2क रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा व विपक्षी संख्या 9 के हिस्से में आराजी संख्या 358/2घ रकबा 10 बिस्वा आराजी संख्या 355 रकबा 1 बीघा 12

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

बिस्वा व आराजी संख्या 356 रकबा 18 बिस्वा भूमि आई है जो अपने–अपने हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर नक्शे में तरमीम की गई है। नवीन भूप्रबन्ध होने से विपक्षीगण की साबिक आराजी संख्या के नवीन नम्बर आराजी संख्या 650 रकबा 0.65 है0, आराजी संख्या 651 रकबा 0.70 है0, आराजी संख्या 653 रकबा 0.27 है0, आराजी संख्या 656 रकबा 0.22 है0 कायम किए गए। भू प्रबन्ध अधिकारियो एवं कर्मचारियो को नक्शे में फेरबदल करने का कोई अधिकार प्राप्त नही होते हुए भी प्रार्थीगण व विपक्षीगण की आराजियात को नवीन नक्शे में गलत रूप से तरमीम कर दिया गया है जो साबिक नक्शे के अनुरूप सही करवाया जाना आवश्यक हो गया है। अतः सादर प्रार्थना है कि विपक्षीगण का काउन्टर क्लेम स्वीकार कर साबिक आराजी संख्या 358/2ग रकबा 1 बीघा बिस्वा व आराजी संख्या 358/2डे रकबा 10 बिस्वा, आराजी संख्या 358/2क रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा, आराजी संख्या 358/2घ रकबा 10 बिस्वा, आराजी संख्या 355 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा व आराजी संख्या 356 रकबा 18 बिस्वा वाके ग्राम छातोल, के साबिक नक्शे के अनुरूप विपक्षीगण की नवीन आराजियात संख्या 650 रकबा 0.65 है0, 651 रकबा 0.70 है0, 653 रकबा 0.27 है0, आराजी संख्या 656 रकबा 0.22 है0 ग्राम छातोल के नवीन नक्शे में तरमीम करने का आदेश फरमाया जावे।

8. तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोट में अंकन किया कि :–

1. भू प्रबन्ध से पूर्व ग्राम छातोल की जमाबन्दी संख्या 2052–55 के खाता संख्या 67 पर खसरा संख्या 355 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, आराजी संख्या 356 रकबा 18 बिस्वा, 357 रकबा 10 बिस्वा, 358/2 रकबा 8 बीघा 3 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 11 बीघा 3 बिस्वा धन्ना, प्यारा, मोहन पिता जालु कुम्हार निवासी कोट के नाम दर्ज रेकार्ड था इस प्रकार बिन्दु संख्या 1 के कथन अनुसार स्वीकार है।
2. भू प्रबन्ध से पूर्व ग्राम छातोल के नामान्तरण संख्या 228 से स्वेच्छिक बंटवारा किया गया जिसमें प्रार्थी मोहन आत्मज जालु कुम्हार के हिस्से में आराजी संख्या 358/2ख रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा, 357 रकबा 10 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा भूमि रखी गई जो रेकार्ड अनुसार स्वीकार है। इस प्रकार बिन्दु संख्या 2 का कथन रेकार्ड अनुसार स्वीकार है।
3. विन्दु संख्या 3 का कथन अस्वीकार है प्रार्थीगण स्वंय सिद्व करें।
4. विन्दु संख्या 4 के अनुसार नवीन भू प्रबन्ध हुआ जिसके साबिक आराजी का मिलान खसरे से मिलान करने पर साविक आराजी संख्या 358/2ख व 357 के नवीन नम्बर 652 रकबा 0.57 है0 , 854/651 रकवा 0.11 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.68 है0 कायम किये गये जो रेकार्ड अनुसार स्वीकार है।
5. विन्दु संख्या 5, 6 अस्वीकार है। विन्दु संख्या 7, 8, 9, 10 न्यायालय से सम्बधित है।
6. प्रार्थीया पुराने नक्शे के अनुसार नवीन नक्शे मे तरमीम दुरूस्ती करवाना चाहती है जो स्वयं सिद्व करे नक्शा दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 में श्रवण योग्य नही है।

9. प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी लिखित वहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण के पूर्वज मोहन पिता जालु, विपक्षी संख्या 1 लगायत 8 के पूर्वज मगना पिता जालु व विपक्षी संख्या 9 प्यारा

सहायक कलेक्टर
(.....),.....पुर

पिता जालु व विपक्षी संख्या 10 के पूर्वज धन्ना पिता जालु के नाम साबिक आराजी संख्या 355, 356, 357, 358/2 कुल किता 4 कुल रकबा 11 बीघा 3 बिस्वा भूमि स्थित थी। उक्त आराजियात में दिनांक 11.06.1997 को सहमति से विभाजन हुआ और जिसका इन्तकाल दिनांक 18.06.1997 को दर्ज होकर आपस में तरमीम हुई है। प्रार्थीगण के पूर्वज मोहन के हिस्से में आराजी संख्या 358/2ख, 357 को नक्शे में तरमीम की गई। नवीन भू प्रबन्ध होने से नवीन आराजी संख्या 652 रकबा 0.57 है0, 854/651 रकबा 0.11 है0 कायम किए गए। भू प्रबन्ध के दौरान राजस्व नक्शे को साबिक नक्शे अनुसार तरमीम नही कर विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 3 की आराजी संख्या 656 को, विपक्षी संख्या 4 लगायत 8 की आराजी संख्या 651 को गलत रूप से प्रार्थीगण की आराजी के नवीन नक्शे में फीट कर दिया जिसे साबिक नक्शे अनुसार तरमीम किया जाना आवश्यक हो गया है। विपक्षीगण संख्या 1, 4, 8, 9, 10 द्वारा काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया उन्होने भी साबिक नक्शे अनुसार नवीन नक्शे में तरमीम किया जाने हेतु पेश किया गया जिसमें प्रार्थीगण को कोई आपत्ति नही है। अतः प्रार्थीगण की सादर प्रार्थना है कि साबिक नक्शे अनुसार नवीन नक्शे में तरमीम किया जावे।

10. विपक्षी अधिवक्ता ने अपनी लिखित बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को विपक्षीगण द्वारा स्वीकार किया गया है। विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम को प्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में स्वीकार किया गया है। प्रार्थीगण व विपक्षीगण विभाजन अनुसार साबिक नक्शे के अनुसार मौके पर काबिज चले आ रहे है। ग्राम छातोल का भु प्रबन्ध होने से नवीन नम्बर आराजी संख्या 650, 651, 653, 656 कायम किए गए। तहसीलदार रायपुर द्वारा सक्षम धाराओं मे प्रार्थना पत्र पेश नही करना बताया है जबकि न्यायालय द्वारा तहसीलदार रायपुर को मौका रिपोर्ट पेश करने हेतु लिखा गया। अतः श्रीमान् से सादर प्रार्थना है कि विपक्षीगण का काउन्टर क्लेम प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर साबिक नक्शे के अनुरूप विपक्षीगण की नवीन आराजियात संख्या 650 रकबा 0.65 है0, 651 रकबा 0.70 है0, 653 रकबा 0.27 है0, 656 रकबा 0.22 है0 ग्राम छातोल के नक्शे में तरमीम करने का आदेश फरमाया जावे।

11. न्यायालय ने पत्रावली में उपलब्ध साबिक एवं नवीन राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट पर गंभीरता से विचार किया तो पाया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 5 में प्रार्थीगण की आराजियात का भू प्रबन्ध के दौरान नवीन नक्शे में साबिक नक्शे के अनुसार तरमीम ना किया जाकर प्रार्थीगण की आराजियात के बीच में विपक्षीगण की आराजियात का तरमीम कर दिया जाना बताया है। अपने प्रार्थना पत्र में इसे त्रुटीपूर्ण वताते हुए प्रार्थीगण ने नवीन नक्शे में साबिक नक्शे के अनुसार तरमीम की जाकर नक्शे की दुरूस्ती की दाद चाही है। विपक्षीगण 1, 4, 8 लगायत 10 द्वारा प्रार्थना पत्र के जवाब में प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 5 को स्वीकार किया गया है। जवाब की कलम संख्या 14 में उक्त विपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात का भू प्रबन्ध के दौरान साबिक नक्शे अनुरूप नवीन नक्शे में तरमीम ना किया जाना बताते हुए नक्शे की दुरूस्ती हेतु काउन्टर क्लेम पेश किया गया है। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र तथा विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब दोनो में प्रार्थना पत्र में उल्लेखित आराजियात के विभाजन के पश्चात् प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण का अपने अपने हिस्से

उपखण्ड अधिकारी
(...),रायपुर

पर काबिज होकर काश्त करने का अंकन किया गया है। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व दस्तावेज साबिक नक्शा, मिलान क्षेत्रफल, साबिक जमाबन्दी, नवीन जमाबन्दी, नवीन नक्शा ट्रेस से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात के खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण पूर्वजो के समय हुए स्वैच्छिक विभाजन अनुसार मौके पर काबिज है। पत्रावली में विभाजन प्रस्ताव एवं नक्शे की प्रति उपलब्ध है जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण व विपक्षीगण के पूर्वज द्वारा सेटलमेन्ट से पूर्व विभाजन करवाया गया था। प्रार्थीगण व विपक्षीगण मौके पर उसी अनुसार काबिज होकर काश्त कर रहे है। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व दस्तावेजो से स्पष्ट है कि भू प्रबन्ध के दौरान प्रार्थीगण के साबिक नक्शे व हाल नक्शे में लिपिकीय त्रुटी हुई है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 में लिपिकीय त्रुटी के प्रकरणो का निर्णय किया जाता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं विपक्षी संख्या 1, 4, 8, 9, 10 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

::— आदेश —::

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 एवं विपक्षीगण संख्या 1, 4, 8 लगायत 10 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर आदेश दिया है कि ग्राम छातोल पटवार हल्का कोट के साबिक आराजी संख्या 358/2, 355, 356, 357 के विभाजन से साबिक आराजी संख्या 358/2क, 358/2ख, 358/2ग, 358/2घ, 358/2ङ कायम करते हुए उक्त सभी आराजियात के विभाजन प्रस्ताव के साबिक नक्शे अनुरूप नवीन नक्शे मे उक्त साबिक आराजियात के नवीन आराजी संख्या 651, 652, 653, 656, 854/651, 650 को नवीन नक्शे में तरमीम किए जावे। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को आदेश की प्रति के साथ लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 9/2/2026 को सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(करूणा लाड़ोती)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती करूणा लाड़ोती, आर.ए.एस.

राजस्व वाद नम्बर :– 2/2023

जीसीएमएस नम्बर :– 2023/115

अनवान

1. ज्योति पुत्री गणेशलाल कुम्हार निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. देवेन्द्र आत्मज गणेशलाल कुम्हार निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. नितिन आत्मज गणेशलाल कुम्हार निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. नीरज आत्मज गणेशलाल कुम्हार निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. रेणु पुत्री गणेशलाल कुम्हार निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. सुखी पुत्री मोहन कुम्हार निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. सुन्दरबाई पत्नि गणेशलाल कुम्हार निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. सायरी पत्नि मोहन कुम्हार निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. कस्तुरी पत्नि मीठु कुम्हार निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. गोरीलाल आत्मज मीठु कुम्हार निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. मांगी पुत्री मीठु कुम्हार निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. चान्दीदेवी पत्नि मगना कुम्हार निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. पारसी पुत्री मगना कुम्हार निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. मंजु पुत्री मगना कुम्हार निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. श्यामलाल आत्मज मगना कुम्हार निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. सुरेश पुत्र मगना कुम्हार निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. प्यारा आत्मज जालु कुम्हार निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. मूलचन्द दतक पुत्र धन्ना कुम्हार निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षी

दिनांक 9/2/2026

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम</u>

प्रेषित :–<u>तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा इन्द्राज दुरस्ती बाबत्</u>

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 एवं विपक्षीगण संख्या 1, 4, 8 लगायत 10 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर आदेश दिया है कि ग्राम छातोल पटवार हल्का कोट के साबिक आराजी संख्या 358/2, 355, 356, 357 के विभाजन से साविक आराजी संख्या 358/2क, 358/2ख, 358/2ग, 358/2घ, 358/2ड कायम करते हुए उक्त सभी आराजियात के विभाजन प्रस्ताव के साबिक नक्शे अनुरूप नवीन नक्शे मे उक्त साबिक आराजियात के नवीन आराजी संख्या 651, 652, 653, 656, 854/651, 650 को नवीन नक्शे में तरमीम किए जावे। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को आदेश की प्रति के साथ लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

हुक्मनामा आज दिनांक 9/2/2026 को सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।

(करूणा लाड़ोती)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा